Gen. No. 13

अपील संख्या 62/2013 छोटा सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति मजहबी सिख आयु 62 वर्ष निवासी 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–कुलदीप सिंह पुत्र श्री छोटा सिंह जाति मजहबीसिख निवासी 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–गगनदीप सिंह पुत्र श्री छोटा सिंह जाति मजहबीसिख निवासी 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3–स्टेट आफ राज0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी छोटा सिंह उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट कुलदीप सिंह, गगनदीप सिंह उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो द्वारा लिखित बहस भी पूर्व में पेश की हुई है।

अपीलार्थी छोटा सिंह का कथन है कि उसके द्वारा धारा 5 व 23 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र दिये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2012 के आदेश से, आदेश जारी होने की तिथि से रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण कुलदीप सिंह व गगनदीप सिंह प्रत्येक से 500–500 रूपये अपीलार्थी को भरणपोषण के रूप में अदा करेंगें तथा अपीलार्थी (प्रार्थी) के चक 18 जैड के मकान को खाली करवाने संबंधी उसका दावा खारिज कर दिया। अपीलार्थी बीमार एवं वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी को भरण पोषण के लिए कम से कम 2000रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है। जबकि रेस्पो0 सं0 1 व 2 साधन सम्पन्न है और दस–दस हजार रूपये प्रति माह आमदन कर रहे है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खर्चा कम बांधा गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे और रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से 1000–1000रूपये भरण पोषण के रूप में दिलाने के आदेश दिये जावे। उसकी यह भी प्रार्थना है कि उक्त निर्णय के पश्चात उसने अपनी भरण पोषण राशि बढाने के लिए दिनांक 08.01.2013 को एक प्रा0 पत्र उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर को पेश किया था जो दिनांक 09.01.2013 को बिना सुनवाई किये ही खारिज कर दिया गया और उसकी सूचना भी अपीलार्थी को नही दी गयी जबकि उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को निशुल्क देनी आवश्यक थी जो नही दी गयी। जिस कारण प्रार्थी को उक्त कार्यवाही का ज्ञान नही हुआ और बाद में प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है तो दिनांक 22.05.2013 को उसकी नकल लेकर बिना विलम्ब के अपील पेश कर दी गई। इसलिए विलम्ब माफ किया जाकर समय सीमा में ही अपील को माना जावे। उसका यह भी कथन है कि पूर्व में उसका मकान खाली करवाने संबंधी उसकी प्रार्थना इस आधार पर खारिज की गई है कि चक 18 जैड के मकान का उसके पास पटटा नही है। जबकि उक्त मूल पटटा अप्रार्थीगण के कब्जे में ही है। वर्तमान में अपीलार्थी ने अपने पटटे की प्रमाणित फोटो प्रति बिजली विभाग से प्राप्त कर ली है जो उसने अपने उक्त अवास के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दी थी, जो साथ में सलंग्न है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर उसके उक्त मकान से रेस्पोडेन्टस को बेदखल करके उसको कब्जा दिलाया जावे और प्रत्येक रेस्पो0 से भरण पोषण की राशि 1000–1000रू0 दिलाई जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्टस ने अपने लिखित बहस में कथन किया है कि मूल आदेश दिनांक 03.12.2012 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया था उसकी अपील अपीलार्थी ने निर्धारित समय में नही की है। इसलिए आदेश दिनांक 03.12.2012 अंतिम हो चुका है और उसमें अब किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। चक 18 जैड का प्लाट सं0 8 लीलूसिंह पुत्र मेलासिंह को आवंटित है न कि अपीलार्थी को आवंटित है। उनका लिखित बहस में आगे कथन है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.13 जो अधिनियम की धारा 10 के तहत मूल आदेश 03.12.12 में भरण पोषण राशि बढाने के लिए पेश किया गया है, जो आदेश पारित होने के पश्चात परिस्थितियों में विशेष परिवर्तन होने के कारण ही पेश किया जा सकता था। अप्रार्थीगण नरेगा में मजदूरी करते है और उनकी पूर्व आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआ था। इसलिए इस प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नही किया जा सकता था। इसलिए प्रा0 पत्र सही खारिज किया गया है। उनका लिखित बहस में यह भी कथन है कि अपीलांट द्वारा चक 18 जैड के अहाता सं0 8 की जो प्रति पेश की है और उसके आधार पर उसे स्वयं को आवंटन होना बताया है जबकि उक्त अहाता संख्या 8 का पटटा दिनांक 02.12.87 को लीलू सिंह पुत्र मेलासिंह के नाम से जारी किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति चक 18 जैड के

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पंचायत सचिव द्वारा जारी की गयी है। जब 1987 में उक्त प्लाट का पटटा लीलूसिंह के नाम से जारी हो चुका था तो वर्ष 1990 में अपीलार्थी के नाम से पटटा कैसे जारी हो सकता था? बिजली के कनेक्शन से इस पटटा का कोई संबंध नही है। जबकि अपीलांट चक 18 जैड में कभी नही रहा और उसके नाम से ग्राम पंचायत 8 एचएच के चक 8एच ढींगावाली में प्लाट का पटटा जारी है जिसे वह स्वयं भी स्वीकार करता है। विवादित प्लाट सं0 8 से उसका कोई संबंध नही है। इसलिए भी अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2012 के आदेश से प्रार्थी छोटा सिंह का भरण पोषण प्रार्थना पत्र स्वीकार करके कुलदीपसिंह व गगनदीप सिंह को 500–500रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि प्रार्थी को अदा करने के आदेश दिये थे जो वे अदा कर रहे है और चक 18 जैड के प्लाट के संबंध में पटटा पेश न करने के कारण प्रार्थी की बेदखली संबंधी प्रार्थना खारिज कर दी गई। उक्त आदेश में स्वीकार की गई भरण पोषण की राशि को बढाने के लिए प्रार्थी द्वारा एक प्रा0 पत्र दिनांक 08.01.13 को दिया गया था जो दिनांक 09.01.13 को प्रार्थी को बिना सुने ही खारिज कर दिया गया। यह आदेश कार्यालय टिप्पणी पर पारित आदेश है जिसकी सूचना प्रार्थी को नही दिया जाना प्रतीत होता है जबकि नियमानुसार आदेश दिनांक 09.01.13 की प्रति प्रार्थी को दी जानी चाहिए थी। प्रार्थी ने ज्ञान होने पर दिनांक 20.05.2013 को प्रार्थना पत्र पेश करके नकल प्राप्त कर दिनांक 28.05.2013 को अपील पेश कर दी है। इसलिए न्याय हित में इसे सुनवाई के लिए ग्रहण किया जाता है।

जहां तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं0 1 व 2 के विरूद्ध भरण पोषण राशि बढाने का प्रश्न है ऐसा कोई भी साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा अपील में पेश नही किया गया है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को गलत ठहराया जा सके। इसलिए भरण पोषण की राशि बढाने संबंधी अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार नही की जा सकती।

जहां तक अपीलार्थी के चक 18 जैड के मकान से रेस्पोडेन्टस को बेदखल करने का प्रश्न है, इस संबंध में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटटा पेश न करने के आधार पर प्रार्थी की प्रार्थना अस्वीकार की गई थी। अब प्रार्थी द्वारा चक 18 जैड के उक्त प्लाट सं0 8 संबंधी पटटा दिनांक 15.07.90 की फोटो प्रति, जो सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति है की प्रति पेश की गयी है जो अपीलार्थी खुद के नाम से है और दूसरी तरफ रेस्पोडेन्टस के द्वारा इसी प्लाट सं0 8 के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा दिनांक 02.12.87 को जारी पटटे की प्रमाणित प्रति पेश की है जो लीलूसिंह पुत्र मेलासिंह के नाम से जारी है। इसलिए उक्त बिन्दु पर उपखण्ड अधिकारी को पुनः विचार करना चाहिए कि उक्त भूखण्ड का सही पटटेदार अपीलार्थी है अथवा नही? और क्या वह माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानो के तहत उक्त प्लाट के संबंध में कोई राहत पाने का हकदार है अथवा नही? इस पर पुनः विचार करे। इसलिए अपीलार्थी की अपील इस प्लाट की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.13 निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिनांक 03.12.12 प्लाट की हद तक निरस्त किया जाता है और मामला पुनः उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर को चक 18 जैड के प्लाट सं0 8 के कब्जा के संबंध में माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानो के अन्तर्गत पुनः निर्णय पारित करने के लिए रिमाण्ड किया जाता है। उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर पक्षकारो को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। किन्तु **भरण पोषण राशि की हद तक संबंधी आदेश 03.12.12 यथावत कायम रहेगा और अप्रार्थीगण नियमित रूप से भरण पोषण राशि 500–500 रूपये प्रार्थी को अदा करते रहेंगे।** अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रति सहित पालनार्थ वापिस लौटाया जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टस को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञान राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर